**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1147**

**05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में वृद्धि**

**†1147. डॉ. राज कुमार चब्बेवालः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य के मामलों और मनस चिंता विकारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में युवा आबादी में मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में इस खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलुरु के द्वारा देश के 12 राज्यों में कराए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस), 2015-16 के अनुसार, 13-17 वर्ष आयु वर्ग में मानसिक स्वास्थ्य विकारों की व्यापतता लगभग 7.3% है।

मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू किया जा रहा है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में, अन्य बातों के अलावा, बहिरंग रोगी सेवाएँ, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक अंतःक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की निरंतर परिचर्या और सहायता, दवाइयाँ, आउटरीच सेवाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधाकेंद्र का प्रावधान है। डीएमएचपी के उद्देश्य हैं:

i. स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना।
ii. जिला स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और दीर्घकालिक सतत देखभाल सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
iii. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे, उपकरण और मानव संसाधन के संदर्भ में संस्थागत क्षमता को बढ़ाना।
iv. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण में सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं के स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने और विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

देश में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं, नामत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेज़पुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची। सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.81 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी

शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) पर विभिन्न संवर्गों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई है।

आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के अंतर्गत "भावनात्मक आरोग्यता और मानसिक स्वास्थ्य" को प्रतिबद्ध मॉड्यूल के रूप में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य एवं आरोग्य राजदूतों (शिक्षकों) को कार्यक्रम के अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रशिक्षित किया जाता है, वे छात्रों के साथ संवादात्मक सत्र लेते हैं और रुचिकर शिक्षा को बढ़ावा देने वाले साप्ताहिक सत्रों के माध्यम से संदेशों को प्रसारित करते हैं।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत मोबाइल हट टीमें (एमएचटी) जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में चार 'डी'- डिफ़ेक्ट एट बर्थ, डिजिज़, डेफ़िशिएंशी डेवेलपमेंट डिले के लिए स्वास्थ्य जांच करती हैं। इसमें 32 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों का शीघ्र पता लगाने, उपचार और प्रबंधन के लिए विशिष्ट स्तर पर सर्जरी भी शामिल है। आरबीएसके का लक्ष्य बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समुदाय में उन्हें व्यापक देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) अपने कार्यकलापों जैसे किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस (एएचएंडडब्ल्यूडी) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करता है और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। सहकर्मी शिक्षक समुदाय में 15-20 लड़के और लड़कियों के समूह बनाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य सहित किशोर स्वास्थ्य पर एक से दो घंटे के साप्ताहिक सहभागी सत्र आयोजित करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए देश भर के छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मनोदर्पण नामक पहल शुरू की है। मनोदर्पण पहल के तहत किए जाने वाले सभी कार्यकलापों का उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्यता संबंधी सहायता करना है, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी शामिल हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 13.04.2023 को उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र स्वास्थ्य, आरोग्य, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आरोग्यता को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने; शैक्षणिक दबाव, सहकर्मी दबाव, व्यवहार संबंधी मुद्दों, तनाव, करियर की चिंताओं, अवसाद और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर अन्य मुद्दों से संबंधित सुरक्षा उपायों के निर्माण; छात्र समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाओं को सिखाने; और छात्रों के लिए सकारात्मक और सहायक नेटवर्क को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है, जो देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवा तक पहुँच में सुधार करेगा। दिनांक 27.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। टेली-मानस सेवाएँ राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर 29,82,000 से अधिक कॉल्स हैंडल की गई हैं।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस - 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लीकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। सरकार ने पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा के एक और उन्नयन के रूप में टेली-मानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है।

*****